न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 31/2024

अपीलाण्ट :–

1. केराराम पुत्र श्री भोमाराम,
2. भेराराम पुत्र श्री भोमाराम,
3. मगाराम पुत्र श्री भोमाराम, निवासीगण ग्राम चिलानाड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा, (राज)।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. नारणाराम पुत्र श्री पुंजाराम निवासी–चिलानाड़ी तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा
3. गोकलराम पुत्र श्री दुर्गाराम
4. जब्बराराम पुत्र श्री दुर्गाराम
5. मालाराम पुत्र श्री दुर्गाराम
6. रूकमा देवी पत्नी श्री दुर्गाराम
7. रामलाल पुत्र श्री दुर्गाराम
8. सुजाराम पुत्र श्री दुर्गाराम
9. गोपीलाल पुत्र श्री गंगाराम
10. गोरखाराम पुत्र श्री मेराम
11. भदेवाराम पुत्र श्री मेराम
12. पाबुराम पुत्र श्री मेराम
13. मंगलाराम पुत्र श्री मेराम
14. मिश्राराम पुत्र श्री मेराम
15. मांगीलाल पुत्र श्री गंगाराम
16. भीकी देवी पत्नी श्री गंगाराम
17. भुराराम पुत्र श्री मादाराम
18. शंकराराम पुत्र श्री मादाराम
19. जेसाराम पुत्र श्री घेवरराम
20. देवाराम पुत्र श्री घेवरराम
21. मूलाराम पुत्र श्री घेवरराम
22. विरो देवी पत्नी श्री घेवरराम
23. अणसी देवी पत्नी श्री पदमाराम
24. खंगाराराम पुत्र श्री पदमाराम
25. गोरखाराम पुत्र श्री पदमाराम

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

26. दरगाराम पुत्र श्री पदमाराम
27. पाबुराम पुत्र श्री पदमाराम
28. लुणाराम पुत्र श्री पदमाराम
29. अमानी पत्नी श्री मगना
30. गुमानाराम पुत्र श्री मगना
31. नेमाराम पुत्र श्री मगना
32. मिसराराम पुत्र श्री मगना

रेस्पो0 संख्या 3 से 32 निवासीगण ग्राम चिलानाडी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.05.2023 को उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 9/2023 अनवान नारणाराम बनाम केराराम में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री जोगसिंह भाटी, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री प्रवीण सोलंकी, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
4. श्री गौरव भारू, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 ता 8 एवं 18 ता 22 की ओर से।
5. शेष रेस्पो0 संख्या 9 ता 17, 23 ता 32 बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 28 अक्टूबर, 2025

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.01.2023 अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111,128 के तहत प्रस्तुत किया गया कि मौजा चिलानाडी के खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर भूमि उनकी खातेदारी भूमि है। पड़ौसी खातेदारो के द्वारा सेढ़ा माठ को तोड़कर प्रश्नगत भूमि में अनाधिकृत कब्जा करने के कारण भूमि की पैमाईश कर सीमाएं तय कर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थर गड्ढी) करने का निवेदन किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक के उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.01.2023 को अपीलाधीन आदेश

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 29.05.2023 के द्वारा स्वीकार करते हुए पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस् के द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 15.03.2024 को पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत किये गये धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 को स्वीकार किये जाने हेतु यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक की ओर से पेश किये गये उक्त प्रार्थनापत्र में विप्रार्थीगण को अनुपस्थित होना मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, ऐसे में उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 की पालना हेतु जानकारी उन्हें उक्त आदेश की तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने पर हुई है, जिसके पश्चात अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 को पारित किया गया है, वह विधि एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स एक ही खसरे के खातेदार है। खसरा संख्या 4365/2699 में क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर भूमि के समस्त पक्षकारान् संयुक्त खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.01.2023 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये तथा पत्रावली आईन्दा वास्ते तामील/जवाबदावा हेतु दिनांक 10.02.2023 को मुकर्रर की गई परन्तु आदेशिका दिनांक 09.01.2023 की पालना में पत्रावली में नोटिस तैयार कर जारी करने संबंधी कोई इन्द्राज ही नही है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2023 को प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर रजिस्टर्ड नोटिस की जारी रसीदे व ट्रेकिंग रिकॉर्ड पेश किये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के द्वारा अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर पेशी दिनांक 03.03.2023 को नियत की गई। दिनांक 03.03.2023 को अधिवक्ता संघ के हडताल पर होने से पत्रावली दिनांक 28.04.2023 को नियत थी, तत्पश्चात दिनांक 29.05.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र प्रार्थीगण को सुनकर एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करते हुये उसी दिनांक 29.05.23 को प्रार्थी की बहस सुनते हुए प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाण्टस् को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 पारित कर दिया गया जो कि विधि एवं न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया से कोई नोटिस प्रेषित नही किये, लिहाजा तामील कुनिन्दा के द्वारा पेश होने वाली रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नही है। ऐसी परिस्थितियो में न्यायालय के द्वारा नोटिस तामील होने की अवधारणा लेकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करना विधिक प्रक्रिया की भूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा पेश पोस्टल रसीदे एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट के आधार पर ही नोटिस तामील होने की अवधारणा की गई है, जबकि पत्रावली की आदेशिका के अनुसार नोटिस जारी होने तथा प्रार्थी अधिवक्ता को नोटिसेज दस्ती दिये जाने का आदेशिका में कोई अंकन दर्ज नही है। लिहाजा, विचारण न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी किये गये हो, ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर न होने से, सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया एवं निर्णय दूषित हो जाने से खारिज फरमाने योग्य है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार के नोटिस को तामील मानकर उनकी उनुपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि राज्य की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजकीय पैरोकार नियुक्त हो रखे है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत मामले में उनकी उपस्थिति दर्ज न होना विचारण न्यायालय की पूर्ण प्रकिया पर संदेह उत्पन्न करता है। लिहाजा, आलौच्य आदेश खारिज फरमाने योग्य है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सीमाज्ञान करवाने

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तथा प्रतिपक्ष के मध्य किसी प्रकार का विवाद है, इसकी तथ्य की संक्षिप्त में जांच करवाते, जिसके पश्चात यदि किसी पक्ष के द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई उत्पन्न विवाद होने पर रिकॉर्ड तलब कर बाद अवलोकन ही उपयुक्त आदेश पारित करते परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मामले में कोई रिकॉर्ड तलब ही नही किया तथा न ही कोई सक्षम स्तर की जांच करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान सम्पादित हो जाने सम्बन्धी रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में सीमाज्ञान करवाया होना अंकित कर दिया गया है जो असत्य है। लिहाजा सम्पूर्ण प्रकिया विधि के अनुरूप नही होने से एवं जल्दबाजी में की गई तथा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया आलौच्य आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 को निरस्त फरमाया जायें।

8. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ लगाया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के नोटिसेज किस दिनांक को मिले, जानकारी की दिनांक से ही लिमिटेशन की समयावधि शुरू होती है, अपीलान्ट द्वारा ब्लैंक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 05 मियाद अधिनियम का अपील के साथ मात्र पेश कर दिया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 का है तथा अपील दिनांक 15.03.2024 को पेश हुई है, इस प्रकार प्रश्नगत अपील मियाद बाहर है और इस मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज की जायें।

9. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की मौजा ग्राम चिलानाडी के खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर भूमि स्थित है जिस पर उनका शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, अप्रार्थीगण संख्या 1 की भूमि के सेढा–सेढ ही अपीलाण्टस् एवं अन्य रेस्पोडेण्ट्स की कृषि भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 की भूमि के माठ व सेढा को लेकर अपीलाण्टस् तथा अन्य शेष रेस्पोडेण्ट्स के द्वारा दखल अन्दाजी होने से पक्की नेखमबंदी करवाने का एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय के द्वारा विधि के अनुसार रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक के उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकर करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 को पारित किया गया है।

10. रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक के उक्त प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस के तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थी संख्या 1 से 33 के रजिस्टर्ड नोटिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने पर विधि के द्वारा प्रावधित प्रावधानो के अनुसार उक्त के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थीगण के नोटिस तामील हो जाने के बावजूद उनके उपस्थित नही होने से उनको अनुपस्थित मानते हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है तथा उनको अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।

11. रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत खसरा भूमि का आपसी सहमति से पक्षकारान के मध्य बंटवाडा होकर विभाजन हो रखा है तथा सभी खातेदार अपनी–अपनी हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे है, किसी के खाते की भूमि कम नहीं पड़ रही है, परन्तु खेतों की माठ एवं सेढा के मध्य विवाद होने के कारण उनके द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी करवाने जाने हेतु आवेदन किया गया था। पत्थरगढी` आवेदन पेश किये जाने से पूर्व उक्त भूमि का तहसीलदार कार्यालय की ओर से सीमाज्ञान भी किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 पारित किया गया है, जो उचित होने से यथावत रखा जाये तथा अपीलान्ट की अपील को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करे।

12. रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.01.2023 अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111,128 के तहत प्रस्तुत कर अपने खेत खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर भूमि की पैमाईश कर सीमाएं तय कर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थर गड्ढी) करने का

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निवेदन किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक के उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.01.2023 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 के द्वारा स्वीकार करने का जो आदेश पारित किया गया है वो विधि के अनुकूल उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

13. रेस्पो0 संख्या 3 ता 8 एवं 18 ता 22 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन किया कि अपीलान्टस् की ओर से पेश यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस के अनुसार अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

14. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा ने धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत राजस्व प्रकरण संख्या 09/2023 अनवान नारणाराम बनाम केराराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

15. अपीलान्ट के द्वारा इस अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई पत्रावली में अप्रार्थीगण को नोटिस तैयार कर नोटिसेज जारी करने का अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में इन्द्राज नहीं किया गया और न ही प्रार्थी अधिवक्ता को नोटिस दस्ती जारी करने का आदेशिका में अंकन है। दिनांक 10.2.2023 को प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर रजिस्टर्ड नोटिस की जारी रसीदे व ट्रेकिंग रिकार्ड पेश कर दिया जिसके आधार पर न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए आगामी पेशी निर्धारित कर दी गई। तत्पश्चात दिनांक 29.5.2023 को मात्र प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुनकर व वर्तमान अपीलान्टस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो कि अपीलान्टस् के प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये स्थापित प्रकिया के कोई नोटिस प्रेषित नहीं किये गये और न ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट पेश हो रखी है। इसके अतिरिक्त

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट ने यह भी आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व सीमाज्ञान भी नहीं करवाया गया है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टस् का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य था।

16. इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि अपीलाधीन आदेश में पीठासीन अधिकारी के द्वारा तहसीलदार से दिनांक 06.12.2022 को सीमाज्ञान करवाया जाना उल्लेखित किया है जबकि संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 06.12.22 में यह स्पष्ट अंकित है कि ख0सं0 4365/2699 के पड़ौसी खातेदारों के द्वारा आपत्ति जताई गई, विवादास्पद परिस्थिति को देखते हुए सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका। ऐसे में अपीलाधीन आदेश को विधि के अनुरूप पारित किया जाना होना नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से तामीलों की स्थिति देखी गई, जिसके अनुसार अपीलान्ट संख्या 02 भैराराम पुत्र भोमाराम, रेस्पो0 संख्या 13 पाबूराम पुत्र मेराम, रेस्पो0 संख्या 21 देवाराम पुत्र घेवरराम को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट में पक्षकार के निवास का पता अंकित नहीं होकर अन्य स्थान अंकित हो रखा है, ऐसे में उनकी तामीली प्रकिया को सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप तामील नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो ट्रेकिंग रिपोर्ट संलग्न है, उसके अनुसार अपीलान्ट संख्या 02, रेस्पो0 संख्या 13, 21 की ट्रेकिंग रिपोर्ट में आईटम डिलीवर्ड होना भी अंकित नहीं है, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट संख्या 2, रेस्पो0 संख्या 13, 21 की तामील प्रोपर मान ली गई है तथा अपर्याप्त तामील को न तो अपर्याप्त माने जाने का और ना ही पर्याप्त एवं उचित तामील को प्रोपर तामीली माने जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में कोई अंकन भी नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी अनुपस्थिति बताते हुए उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही कर दी गई है, जो कि उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, पचपदरा (भूमिधारी) से मौका रिपोर्ट/जवाब तलब किया जाना भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 विधि के अनुरूप नहीं होने, रिकार्ड के विपरित होने तथा पक्षकारान के प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है, जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई उपरान्त नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान करवाने, उभय पक्षकारान को उनका पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर